

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)()Flexi Fund/PMVVY/ICDS/2017/ 61211-851

दिनांक : 22/4/2022

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

विषय:- PMVVY योजना के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर योजना की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए फलेक्सी फण्ड के तहत डेटा फीडिंग की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-विभाग का पूर्व पत्रांक 80385-720 दिनांक 05.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार PMVVY के फलेक्सी फण्ड के अन्तर्गत राजस्थान में पीएमएमवीवाई के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर जॉब बेसिस पर डाटा फीडिंग करने के लिए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को टीम इन्सेटिव के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में PMVVY फलेक्सी फण्ड की स्वीकृति जारी गई थी।

अतः विभागीय पत्रांक 80385-720 दिनांक 05.07.2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अग्रिम आदेशों तक पीएमएमवीवाई डेटा फीडिंग का कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में विहित नियमों एवं प्रावधानों तथा सुसंगत लेखा नियमों के अन्तर्गत जॉब बेसिस पर करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(रामावतार मीणा)

निदेशक,

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)()Flexi Fund/PMVVY/ICDS/2017/ 61852-54

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

22/4/2022

1. निजी सचिव, निदेशक आईसीडीएस, जयपुर।
2. राज्य प्रभारी अधिकारी, 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' (PMVVY), मुख्यालय, जयपुर।
3. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

राज्य प्रभारी अधिकारी (PMVVY)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर